पत्रांक – 10/प 4–027/08

बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
बिहार, पटना

प्रेषक,

कमलेश्वर प्रसाद सिंह,
निदेशक (मा. शि.),
मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार।

सेवा में,

श्री अशोक गांगुली,
अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेन्टर,
नई दिल्ली – 110092।

पटना, दिनांक ....

विषयः संत जोसेफ सिनियर सेकेन्ड्री स्कूल पानापुर, करियात, बड़कागाँव रोड, मुजफ्फरपुर को सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु अनापति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकारी अधिसूचना संख्या–238, दिनांक 03–04–2006 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा की गई तथा संत जोसेफ सिनियर सेकेन्ड्री स्कूल पानापुर, करियात, बड़कागाँव रोड, मुजफ्फरपुर को सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत है:–

1. यह विद्यालय जोसेफ एडुकल्यर वेलफेयर एशोसियेशन, लेनिन चौक मुजफ्फरपुर के अधीन संचालित है। इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। ट्रस्ट के प्रत्येक सदस्य का ब्यौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया।

2. विद्यालय ने किसी निबंधित सोसाईटी/न्यास के फ्रेन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नेम का उपयोग नहीं करने का दावा किया है।

3. विद्यालय को निबंधन के माध्यम से दो एकड़ भूमि केवाला द्वारा प्राप्त है, जिसे विद्यालय को 30 वर्षो के लीज पर निबंधित है, विद्यालय को पर्याप्त उपस्कर, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएं बोर्ड के मानक के अनुरूप है।

4. विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया द्वारा करने का दावा किया गया है तथा शिक्षकों की नियुक्ति विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है, परन्तु ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट हो कि नियुक्ति में निहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पारदर्शिता बरती गई हो। विद्यालय में 13 शिक्षक हैं। सी.बी.एस.ई., नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरुप हैं।

5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।

6. विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करे इसे सी.बी.एस.ई., नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।

7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या–238, दिनांक 03–04–2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्त्ते स्वीकार है। अपेक्षित शर्तो के अनुसार:–

   (i) विद्यालय में क्षमता का 25 प्रतिशत नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का निःशुल्क किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया

जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/– रूपया प्रतिवर्ष होंगे।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/के.जी. अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चो एवं मांता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

(iii) नर्सरी/के.जी. तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा किया गया है, फिर भी सी.बी.एस.ई., नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा किं संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख को प्रोस्पेक्टस एवं बेबसाईट में करना होगा। शर्तो के उल्लंघन की स्थिति में अनापति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्वन रद्व करने की कार्रवाई की जायेगी।

10. विभागीय पत्रांक 46, दिनांक 18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय बिहार संरकार के शिक्षा विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

12. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में तथा वर्णित शर्तो के आधार पर संत जोसेफ सिनियर सेकेन्ड्री स्कूल पानापुर, करियात, बड़कागाँव रोड, मुजफ्फरपुर को सी.बी.एस.ई., नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु अनापति प्रमाण–पत्र दी जाती है।

अनु.: जिला शिक्षा पदा0 मुजफ्फरपुर का प्रतिवेदन संल्गन।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(कमलेश्वर प्रसाद सिंह)
निदेशक (मा.शि.)
मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार

ज्ञापांक 706 पटना, दिनांक 30/6/08

प्रतिलिपिः प्राचार्य, संत जोसेफ सिनियर सेकेन्ड्री स्कूल पानापुर, करियात, बड़कागाँव रोड, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(कमलेश्वर प्रसाद सिंह)
निदेशक (मा.शि.)
मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार

30/6/08